न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2020-013(GCMS2020-00008)

1. शिवलाल पुत्र शंकरलाल सुथार
   निवासी बालरवा, तहसील तिंवरी
   जिला जोधपुर
2. भीखाराम पुत्र शंकरलाल सुथार
   निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, कॉपरेटिव
   बैंक के पास, तिंवरी, जिला जोधपुर
3. विजयराज पुत्र शंकरलाल सुथार
   निवासी प्लाट संख्या 263, सुगन विहार
   बिडला स्कूल के सामने, जोधपुर
4. भंवरलाल पुत्र मंगलाराम सुथार
5. पुखराज पुत्र मंगलाराम सुथार
   निवासीगण ग्राम बांवरला, तहसील तिंवरी
   जिला जोधपुर
6. गोरखराम पुत्र दौलाराम सुथार
   निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, गुलाबसागर बच्चे
   की गली, जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. उर्मिला सिंघवी पुत्री अचलमल सिंघवी
   निवासी सरदारपुरा, जोधपुर
2. बालुदेवी पुत्री शंकरलाल सुथार
   निवासी पालडी खींचीयान
   तहसील व जिला जोधपुर
3. चन्दुदेवी पुत्र शंकरलाल सुथार
   निवासी उगुणा सुथारों का बास
   मथानिया, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 15 जनवरी 2020 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां प्रकरण संख्या 330/2019 अनवान उर्मिला सिंघवी बनाम शिवलाल आदि

उपस्थित-

श्री चेतन प्रकाश सोनी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1

निर्णय

दिनांक : 29 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा प्रकरण संख्या 330/2019 अनवान उर्मिला सिंघवी बनाम शिवलाल आदि में पारित आदेश दिनांक 15 जनवरी 2020 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 30 जनवरी 2020 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीनी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत एक प्रार्थनापत्र अपनी व अन्य की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 75/27 रकबा 104 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम बालरवा तक आवागमन हेतु 20 फीट चौडा रास्ता खसरा संख्या 64 में से प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये मार्क ए से बी तक मंजूर किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थनापत्र विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 जनवरी 2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अप्रार्थीगण के सही पते अंकित नहीं किये गये, सवार के माध्यम से नोटिस तामील नहीं होने की स्थिति में नोटिस रजिस्टर्ड एडी डाक से तामील कराये जाने की कार्यवाही किये बिना ही सीधे दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराये जाने का आदेश विचारण न्यायालय द्वारा जारी कर दिया गया। इतना ही नही, विचारण न्यायालय इस बाबत भी कोई गौर नहीं किया गया कि नोटिसों का प्रकाशन अप्रार्थीगण के साधारणतया निवास वाले क्षेत्र में दैनिक अखबार के प्रकाशित होने वाले संस्करण में नहीं दिया गया। इस प्रकार सीपीसी के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये बिना ही अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण के खिलाफ नोटिसों की समुचित एवं सम्यक तामील मानने में विचारण न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि प्रार्थीया-रेस्पो. संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अपनी खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 64 की दक्षिणी सीमा पर एक रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया जाना जाहिर किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर तैयार की गयी मौका फर्द से भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नया रास्ता कायम करने बाबत विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाना न्यायोचित नहीं है। मौका फर्द के अनुसार तिंवरी की तरफ से खसरा संख्या 799 व 761 से मात्र 1300 फीट दूरी का रास्ता दिया जा सकता है, मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस बाबत भी कोई विचार नहीं किया गया। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने 2018 DNJ 221, 2019 RRD 106, (2019)3 WLN 10, SB Civil Writ Petiton No. 12386/15 Baghsingh Vs The Board of Revenue Ajmer में पारित आदेश दिनांक 04 नवम्बर 2015, AIR 1990 AP 91, AIR 2009 SC 2840, (1992)3 SCC 116, AIR 2006 NOC 103 (Raj.) तथा एसबी सिविल रिट पेटीशन संख्या 9012/15 गजाराम व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु अजमेर आदि में पारित आदेश दिनांक 27 अगस्त 2015 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण के नोटिस सवार के माध्यम से तामील नहीं हो पाने के कारण सीपीसी के प्रावधानानुसार विचारण न्यायालय के आदेशानुसार स्थानीय दैनिक अखबार में प्रकाशित कराये गये। जिनमें सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 08 जनवरी 2020 अंकित की गयी है। इसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी, जो विधिसम्मतः है। सहखातेदारी की भूमि तक आवागमन हेतु रास्ते के लिए सभी सहखातेदारान द्वारा आवेदन किया जाना आवश्यक नहीं है, किसी एक सहखातेदार द्वारा भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर प्रस्तुत मौका फर्द में तीन रास्ते (एक, 1481

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फीट दूरी वाला रास्ता खसरा संख्या 64 के मध्य से होकर बिन्दु ए-बी-सी-डी, दूसरा, 1750 फीट दूरी वाला रास्ता खसरा संख्या 64 की उत्तरी सीमा बिन्दु एच-आई-एफ तथा तीसरा, 1300 फीट दूरी वाला रास्ता खसरा संख्या 64 की उत्तरी सीमा पर बिन्दु ई से एफ) बताये गये है। बिन्दु ए-बी-सी-डी रास्ते हेतु प्रार्थीया-रेस्पो. संख्या एक द्वारा याचना की गयी थी, मगर उक्त रास्ता दिये जाने की स्थिति में खसरा संख्या 64 के दो भाग हो जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा उक्त रास्ता प्रदान नहीं किया गया और बकाया दो रास्तों में से कम दूरी वाला रास्ता जो खसरा संख्या 64 न्यूनतम दूरी का होने से घोषित किया गया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट प्रभावहीन व सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि अपील मीमो में अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण भीखाराम, विजयराम पिसरान शंकरलाल व गोरखराम पुत्र दौलाराम का निवास स्थान जोधपुर शहर के अलग-अलग भागों में होना अंकित है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 2 व 3 के निवास का पता भी ग्राम बालरवा नहीं होकर ग्राम पालडी खीचीयान व उगुणा सुथारों का बास मथानिया लिखा गया है। मगर प्रार्थीनी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रार्थनापत्र में इन सभी पक्षकारान को निवास का पता ग्राम बालरवा तहसील तिंवरी अंकित गया है, जो वास्तविक निवास के पते से भिन्न है। विचारण न्यायालय में दिनांक 11 अक्तूबर 2019 को प्रकरण संस्थित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया और अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिये गये। दिनांक 11 नवम्बर 2019 की आदेशिका अनुसार अप्रार्थीगण के नोटिस सवार से तामील नहीं होने का कोई समुचित कारण अंकित किये बिना ही तामील हेतु स्थानीय दैनिक अखबार में नोटिस प्रकाशित कराये जाने का आदेश दिया गया, जबकि सीपीसी के प्रावधानानुसार नोटिस तामीलकुनिन्दा के माध्यम से तामील नहीं हो पाने की स्थिति में तामील हेतु रजिस्टर्ड एडी डाक से भिजवाये जाने चाहिये। जाहिर है कि विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य मामले में सीपीसी के इन प्रावधानों एवं AIR 1990 AP 91, AIR 2009 SC 2840, (1992)3 SCC 116, AIR 2006 NOC 103 (Raj.) आदि नजीरों में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की पालना नहीं की गयी है और अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रार्थनापत्र में प्रार्थिया-रेस्पो. संख्या एक ने अपनी सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 75/27 तक आवागमन हेतु प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शें में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 64 में लाल रंग से दर्शाये गये मार्क ए से बी तक 20 फीट चौडे रास्ते की मांग की गयी है, मगर साथ ही प्रार्थनापत्र में बिन्दु संख्या 2 में "... उक्त भूमि के पश्चिमी सीमा पर कटाण का रास्ता आया हुआ है जो उत्तर से दक्षिण में चलता है..." तथा बिन्दु संख्या 3 में "... प्रार्थी के हक हिस्से व खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए एक कदीमी रास्ता खसरा संख्या 64 की दक्षिणी सीमा पर चलता था

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिसे हाल ही में अप्रार्थीगण ने बन्द कर दिया.. " अंकित किया गया है।

विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में तीन रास्ते दर्शाते हुए बिन्दु एच-आई-जे रास्ता सभी के हिस्से में पहुँच मार्ग के लिए काम में आने व एक से अधिक काश्तकारों के लिए फायदे वाला होने से उचित बताया गया है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस बाबत कोई विवेचन नहीं किया गया है।

जो न्यायिक दृष्टान्त अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स द्वारा उद्धरित किये गये, उनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में समय-समय पर यह धारित किया गया है कि किसी पक्षकार की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता आत्यंतिक आवश्यक होने व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही प्रदान किया जा सकता है, मात्र पक्षकार की सुविधा के लिए कोई नवीन रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता है। यह भी धारित किया गया है कि किसी उपलब्ध रास्ते को खुलवाने अथवा उपलब्ध रास्ते की चौडाई आदि में वृद्धि किये जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों को उपयोग नहीं जा सकता है। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थिनी-रेस्पो. संख्या एक के प्रार्थनापत्र में वर्णित एकाधिक रास्ते बाबत कोई विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रकट होता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 जनवरी 2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट सहित उभय पक्षकारान को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे और रेस्पो. की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर